(Authoritative English text of this Department Notification No- UD-A(1)-22/2024 dated 30.12.2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

No. UD-A(1)-22/2024

Dated Shimla-2,

30-12-2024

NOTIFICATION

WHEREAS, a proposal for inclusion of some areas in the Nagar Panchayat, Sunni, District Shimla in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act. 1994 (Act. No. 13 of 1994) and also to amend Schedule-1 of the Act *ibid* and to declare Nagar Panchayat Sunni as Municipal Council Sunni as per second proviso to section 3(2) of the Act *ibid* was notified vide this Department Notification No. UD-A(1)-22/2024 dated 09.12.2024 which was published in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh on 10.12.2024 for inviting objections from the inhabitant(s)/person(s) likely to be affected thereby;

AND WHEREAS, the objections received in this regard, within the stipulated period were considered by the State Government and necessary decision was taken thereon, accordingly;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (3) of Section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), is pleased to include the areas specified in the SCHEDULE attached with this Notification, in the Nagar Panchayat, Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh from the date of publication of this Notification in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. Further, in exercise of the powers conferred by second proviso to section 3(2) of the Act *ibid*, the Governor Himachal Pradesh is pleased to up-grade Nagar Panchayat, Sunni to that of the Municipal Council Sunni and also to amend the Schedule-I of the said Act by deleting entry of Nagar Panchayat from part-II of the Schedule and to insert it in part-1 of the schedule namely as Municipal Council, Sunni.

30/2/24

The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 5 read with sub-section (1) of section 80 of Act *ibid* is further pleased to exempt the land and buildings in the areas specified in the SCHEDULE from payment of property tax for a period of three years from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. The residents of these areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the record of rights.

By Order

(Ritesh Chauhan)
Secretary (UD) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endst. No. UD-A(1)-22/2024

Dated Shimla-2, the

30-12-2024

Copy forwarded to:-

- 1. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh for issuance of Notification under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994, for excluding these areas from the respective Gram Panchayats/Gram Sabha Area immediately.
- 2. The Addl.-LR-cum-Addl. Secretary (Law-Legal) to the Govt. of Himachal Pradesh.
- 3. The Secretary, State Election Commission, H.P.
- 4. The Director, Urban Dev., HP, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2
- 5. The Director, Panchayati Raj, H. P. Shimla-9 for similar action.
- 6. The Director, Census Operation, H.P., Shimla-5.
- 7. The Deputy Commissioner, Shimla, H.P.

8. The Secretary, Nagar Panchayat Sunni, District Shimla, HP.

(Ritesh Chanhan) Secretary (UD) to the

Govt. of Himachal Pradesh

SCHEDULE

Sr. No	Name of Patwar Circle	Name of Muhal/ Mauja	Complete or Partial	Khasra Nos. proposed	Name of Panchayat	Area in Sq.m
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sunni	Gharyana	Complete	1351	GP Gharyana	470-84-65
		Palyar Dogam	Complete	365	-do-	
		Dwarsu	Complete	439	-do-	· da ·
		Shil Shakori	Complete	120	-do-	2
		Jungle Kanwalpur	Complete	75	-do-	
		PlyarAwal	Complete	111	GP Juni	
2.	Shakrori	Shakrori	Complete	1514	GP Shakarori	
		Chaba	Complete	226	-do-	
		Uli	Complete	145	-do-	
		Matogari	Complete	253	-do-	
GR	AND TOT	AL	ii.	4599	, ···	

30/12/20

हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विमाग

संख्या यू०डी०-ए०(1)-22/2024

तारीख शिमला-2

30.12.2024

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू०डी०-ए०(1)-22/2024 तारीख 09.12.2024 द्वारा नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला में कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सम्मिलित किए जाने और पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-। में संशोधन करने तथा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3(2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार नगर पंचायत, सुन्नी को नगरपालिका परिषद सुन्नी घोषित करने के प्रस्ताव को तद्द्वारा प्रभावित होने वाले संभाव्य निवासी(निवासियों)/व्यक्ति(व्यक्तियों) से आक्षेप/आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था जिसे राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 10.12.2024 को प्रकाशित किया गया था;

और इस बाबत नियत अविध के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना के साथ सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को इस अधिसूचना के राजपत्र(ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से नगर पंचायत सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3(2) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत सुन्नी को नगरपालिका परिषद सुन्नी के रूप में दर्जा बढ़ाने (उन्नत करने) तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची— I में संशोधन करते हुए नगर पंचायत सुन्नी को काग—I से हटाकर भाग—II में नगरपालिका परिषद सुन्नी के रूप में जोड़ने का भी आदेश देते है।

30/12/24

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में भूमि और भवनों पर संपित कर के संदाय से भी इस अधिसूचना के राजपत्र(ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए छूट प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों को अधिकार—अभिलेख के वाजीब—उल—अर्ज में यथा उपबंधित उनके रुढ़िजन्य अधिकार मिलते रहेंगे।

आदेश द्वारा,

(रितेश चौहान) सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्टांकन संख्याः यू०डी०-ए०(1)-22/2024 तारीख शिमला-2 30.12.2024

प्रतिलिपि को अग्रेषित किया गया है :--

- 1. सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/सभा क्षेत्र से बाहर निकालने हेतु तुरन्त अधिसूचना जारी करने हेतु।
- 2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3. सचिव, निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
- 4. निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश।
- 5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को आवश्यक अनुपालना के लिए।
- 6. निदेशक जनगणना कार्य, शिमला।
- 7. उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
- 8. सचिव, नगर पंचायत सुन्नी, जिला सुन्नी, हिमाचल प्रदेश।

(रितश्चित्राहान) सचिव (शहरी विकास)

हिमाचल प्रदेश सरकार

''अनुसूची''

क्रम संख्या	पटवार वृत का नाम	माहोल/मौजा का नाम	पूर्णतः अथवा आंशिक	प्रस्तावित खसरा नम्बर	पंचायत का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	रू सुन्नी	घरियाणा	पूर्णतः	1351	घरियाणा	470-84-65
1.	3	पल्याङ डोगम	पूर्णतः	365	,	
		डवारसु	पूर्णतः	439	iller E	
		शिल शकरोड़ी	पूर्णतः	120		
		जंगल कंवलपुर	पूर्णतः	75		
		पल्याङ अवल	पूर्णतः	111	जुणी	
2.	शकरोड़ी	शकरोड़ी	पूर्णतः	1514	शकरोड़ी	т 1 ⁴
		चाबा	पूर्णतः	226	* = **	
		उली	पूर्णतः	145	r g H	
	1 0	मटोगरी	पूर्णतः	253		
कुल	न योग			4599		470-84-65

30/12/24